भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2274

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति

†2274. श्री वरुण चौधरीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2025 तक देश से क्षय रोग के उन्मूलन होने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में प्रत्येक क्षय रोग रोगी को हर महीने खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) भविष्य में ऐसे सभी रोगियों को कवर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किये जाने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में क्षय रोग के मामलों की दर में वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष- वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश में क्षय रोग रोगियों के बैंक खाते खोलने की उपलब्धि की स्थिति क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) लागू किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, भारत में टीबी की व्यापप्ता दर वर्ष 2015 में 237 प्रति लाख जनसंख्या से 17.7% घटकर वर्ष 2023 में 195 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है, जो वैश्विक कमी से दोगुनी से भी अधिक है, जबकि टीबी के कारण होने वाली मौतें वर्ष 2015 में 28 प्रति लाख जनसंख्या से 21.4% घटकर वर्ष 2023 में 22 प्रति लाख जनसंख्या हो गई हैं।

पोषण संबंधी सहायता के लिए, सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) शुरू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक रोगी को उपचार की पूरी अवधि के लिए 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। अप्रैल 2018 से, एनपीवाई के अंतर्गत 1.31 करोड़ पात्र लाभार्थियों को 4,018 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, सरकार ने सामुदायिक हितधारकों के माध्यम से टीबी रोगियों की सहायता के लिए "नि-क्षय मित्र पहल" शुरू की है। सितंबर 2022 से 3.28 लाख निक्षय मित्र पंजीकृत किए जा चुके हैं और 16.01 लाख टीबी रोगियों को 36.64 लाख फूड बास्केट वितरित किए जा चुके हैं। नि-क्षय मित्र पहल को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों को नि-क्षय मित्र बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु शामिल करना।
- इस पहल में कॉर्पोरेट्, उद्योगों, व्यावसायिक संघों, नागरिक समाज संगठनों, 'माई भारत' के स्वयंसेवकों, जन आरोग्य समितियों और महिला आरोग्य समितियों को शामिल करना।
- नागरिकों के लिए नि-क्षय मित्र के रूप में पंजीकरण और अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने हेतु एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।
- अंतिम छोर तक सेवा पहुँचाने में स्वयं सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना।

अधिसूचित टीबी मामलों में बैंक खाता जोड़ने की स्थिति **अनुलग्नक** में दी गई है।

*****

दिनांक 01/08/2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2274 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलगक

एनटीईपी के अंतर्गत अधिसूचित टीबी मामलों में बैंक खाता जोड़ने की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**पात्र लाभार्थियों की संख्या**	**लाभार्थियों की संख्या जिनका बैंक खाता विवरण उपलब्ध है**	**%**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	635	589	93%
आंध्र प्रदेश	86488	84773	98%
अरुणाचल प्रदेश	3178	2911	92%
असम	51560	48355	94%
बिहार	207093	168387	81%
चंडीगढ़	5045	4367	87%
छत्तीसगढ़	40003	37584	94%
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	928	927	100%
दिल्ली	94432	74432	79%
गोवा	2110	1579	75%
गुजरात	141561	131674	93%
हरियाणा	91930	83015	90%
हिमाचल प्रदेश	17344	16708	96%
जम्मू और कश्मीर	12312	11518	94%
झारखंड	64627	58446	90%
कर्नाटक	78240	56692	72%
केरल	21103	19054	90%
लद्दाख	345	326	94%
लक्षद्वीप	15	14	93%
मध्य प्रदेश	190236	178942	94%
महाराष्ट्र	232908	192761	83%
मणिपुर	2575	2171	84%
मेघालय	4819	4323	90%
मिजोरम	2416	2170	90%
नागालैंड	4222	4070	96%
ओडिशा	61516	59265	96%
पुदुचेरी	1530	1471	96%
पंजाब	60343	51408	85%
राजस्थान	174418	153779	88%
सिक्किम	1406	1343	96%
तमिलनाडु	99601	91982	92%
तेलंगाना	74946	60047	80%
त्रिपुरा	3612	3436	95%
उत्तर प्रदेश	712665	669091	94%
उत्तराखंड	30678	28911	94%
पश्चिम बंगाल	103378	96113	93%

डेटा स्रोत - नि-क्षय पोर्टल

******